



IndianOil

सर्व

25/5/2023

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय

सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर - 342 008

Indian Oil Corporation Limited

Marketing Division : Jodhpur Divisional Office

Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक
सेवामें,
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर।

दिनांक:- 25.05.2023

विषय:- Diversion of 0.0614 ha forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet on Birdhawal to Chhatargarh Road between KM Stone No. 43-44 (Chainage: 43/195- 43/230) LHS in Kila No. 16, 17/2, Plot No. 23/30, Murba No. 19 Village-2 DOA, Tehsil-Suratgarh, District-SriGanganagar, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/Approach/149635/2021)

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक: एफ()सर्वे/उवसं/2019-20/716 दिनांक-20.02.2023 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र क्रमांक 8B/RAJ001/2023-JPR दिनांक-18.01.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा आक्षेप लगाए गए थे जिनकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	पलना
1.	उप वन संरक्षक द्वारा प्रेषित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन यूजर एजेंसी द्वारा किया गया है या नहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, अतः संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि आज दिनांक तक प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।
2.	पेड़ों को बचाकर भी रोड का alignment लिया जा सकता है, Wherever possible trees should be pruned instead of felled. संबंधित उप वन संरक्षक से प्रस्तावित क्षेत्र के अनुसार नई enumeration सूची प्रस्तुत करने का कष्ट करें। प्रवेश और निकास के बीच हरियाली बनाए रखी जानी चाहिये।	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि प्रस्तावित रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित की गई है एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन कराने उपरांत ही अनापति जारी की गई है, अतः अनुमोदित ले-आउट प्लान में बदलाव किया जाना संभव नहीं है परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जाएगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकेता
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्रीगंगानगर

Lokesh Kumar Meena
Assistant Manager (R&D)
Sri Ganganagar R&D
Indian Oil Corporation Ltd.

रजिस्टर्ड आफिस : जी - 9, अली यावर जंग मार्ग, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई - 400 051

Regd. Office : G - 9, Ali Yavar Jang Marg, Bandra East, Mumbai - 400 051



Scanned with OKEN Scanner